

राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग

क्रमांक: प.7 (148) परि/नियम/मु./95/38036

जयपुर, दिनांक:- 20.06.2017

अधिसूचना

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7 (148) परि/नियम/मु./95, दिनांक 29.02.1996 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा राज्य के समस्त चिकित्सकों, जो एम.बी.बी.एस. डिग्री धारित किये हुये है, को मोटर यान अधिनियम, 1988 एवं इसके तहत बनाये गये नियमों के अधीन चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निम्नलिखित शर्तों पर नियुक्त करती है, अर्थात:-

- (1) ऐसे नियुक्त चिकित्सक, जारी किये जाने वाले उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र पर स्वयं का नाम, संपूर्ण पता, शैक्षणिक योग्यता एवं अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा जारी पंजीयन क्रमांक अंकित करेंगे एवं जारी किये चिकित्सा प्रमाण पत्रों का यथोचित रिकॉर्ड संधारित करेंगे; तथा
- (2) उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने हेतु नियुक्त किये ऐसे चिकित्सकों द्वारा नेत्र जांच व वर्णान्धता (Color Blindness) परीक्षण हेतु आवश्यक उपकरण संधारित किये जायेगे एवं ऐसा न होने की दशा में उक्त प्रयोजन हेतु किसी लैब द्वारा जारी जांच रिपोर्ट के आधार पर चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

राज्यपाल के आदेश से,



(डॉ. मनीषा अरोड़ा)

संयुक्त शासन सचिव


क्रमांक: प.7 (148) परि/नियम/मु./95/38037-38048

जयपुर, दिनांक:-20.06.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 20.06.2017 में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।

2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
6. महालेखाकार लेखा परीक्षा-II, राजस्थान, जयपुर।
7. विधि (संहिताकरण) विभाग, जयपुर।
8. समस्त मुख्यालय अधिकारी परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ।
10. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी
11. समस्त प्रभारी अधिकारी कर संग्रह केन्द्र, परिवहन विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।


 संयुक्त शासन सचिव